प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

उपक्षेप (Introduction)

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य युवाओं के कौशल विकास एवम् प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए और प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद मौद्रिक समर्थन के साथ उनका सहयोग करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित है:
    - 24 लाख युवकों को इस कौशल विकास योजना में लक्षित, प्रसक्षित एवं मौद्रिक समर्थन में सम्मिलित करना
    - अधिकृत संस्था के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के दौर से गुजर के प्रमाणित हुए उम्मीदवारों के लिए मौद्रिक इनाम। औसत मौद्रिक इनाम प्रति उम्मीदवार Rs.8000 निर्धारित
    - मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में मानकीकरण (Standardization) को प्रोत्साहित करना
2. प्रशिक्षु को प्रशिक्षण प्रदाता को अग्रिम प्रशिक्षण और मूल्यांकन की फीस भुगतान करने की आवश्यकता होगी. अलग अलग भूमिकाओं (Job Roles) के लिए प्रशिक्षण और मूल्यांकन के फीस अथवा शुल्क की लागत, रूपए 1000-1200 तक रहेगी. प्रमाणीकरण के पश्चात प्रशिक्षुओं को दी गयी मौद्रिक पुरस्कार से प्रशिक्षण प्रदाता (Training Partners) को भुगतान किया जाएगा

मूलभूत नियम एवं पात्रता (Eligibility)

- सिर्फ आधिकारिक प्रशिक्षण साथी के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण
- सरकारी आकलन एजेंसी द्वारा प्रमाणित
- योजना के दौरान पहली और एकमात्र बार के लिए मौद्रिक इनाम राशी की प्राप्ति की जा सकती है
- स्टूडेंट भारत के नागरिक हो एवं उनके पास आधार कार्ड या नंबर हो. न्यूनतम उम्र 18 वर्ष.
- North East (Assam, Tripura, Arunachal, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Manipur) के स्टूडेंट्स बिना आधार के भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

- मौद्रिक पुरस्कार केवल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों को ही मिलेगा, जो छात्र fail होंगे उनको कोई राशि प्रदान नहीं की जायेगी
- मौद्रिक पुरस्कार छात्र के account में आते ही उसमें से कुछ राशि छोड़कर बाकी राशि auto debit प्रक्रिया के जरिये ट्रेनिंग प्रोवाइडर के account में चली जायेगी
- सभी छात्रों को अपनी २ पासपोर्ट साइज़ फोटो, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, दोनों तरफ हस्ताक्षरित money receipt की प्रतिलिपि, हस्ताक्षरित शपथ पत्र अथवा (affidavit) की मूल कॉपी एवं सारे certificates अथवा document की सेल्फ attested कॉपी सेण्टर को देना अनिवार्य है.

ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए:

- सेण्टर जो भी कोर्स चलाना चाहे चला सकता है एवं उस सेक्टर अथवा कोर्स का नाम AISECT head office भेज सकता है
- सेण्टर अपनी डिटेल AISECT head office द्वारा दी गयी excel sheet में ही दे, ताकि हम उसके मूलभूत आधार संरचना (Infrastructure) एवं उपयुक्त स्थान का जायज़ा ले सकें, की उसके पास सारे न्यूनतम साधन हैं या नहीं
- सेण्टर जो भी कोर्स चलाना चाहे उसके लिए ज़रूरत में आने वाले उपक्रमों का क्रय खुद करे और उसकी जानकारी AISECT head office भेजे
- कोर्स का syllabus मुख्यालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और किताबें भी मुख्यालय ही देगा, लेकिन किसी विषम परिस्थिति में किसी कोर्स की किताबें उपलब्ध ना होने के स्थिति में उसका इंतज़ाम सेण्टर को ही करना पड़ेगा
- सेण्टर चाहे तो एक से अधिक कोर्स या सेक्टर चला सकता है
- ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर अथवा टीचर की व्यवस्था सेण्टर को ही करनी होगी और वो ट्रेनर NSDC - SSC द्वारा प्रमाणित होना अनिवार्य है.
- परीक्षा सरकारी एजेंसी द्वारा ली जायेगी, एवं परीक्षा का स्थान आपका सेण्टर या कोई और सेण्टर भी हो सकता है